रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र
# Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25112021-231371
SG-DL-E-25112021-231371

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352] दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 2021/अग्रहायण 3, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 275
No. 352] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 2021/AGRAHAYANA 3, 1943 [N. C. T. D. No. 275

## भाग IV
## PART IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
## GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

### शिक्षा निदेशालय
### (योजना शाखा)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2021

**पत्रावली सं. डी.ई** 18-1(57)/**पीएलजी**/2020/2876.—जबकि, सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग, सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को उनके अधिकार सीधे एक सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को पेश करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में शिक्षा निदेशालय निम्नलिखित योजनाओं (इसके बाद योजनाओं के रूप में संदर्भित) में सब्सिडी/छात्रवृत्ति का प्रबंध कर रहा है: -

(i) पाठ्य पुस्तकों और लेखन सामग्री की मुफ्त आपूर्ति - एस एंड एम (सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को नकद और वस्तु रूप मे)

(ii) छात्रों को स्कूल वर्दी के लिए अनुव्रत्ति (सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को नकद)

(iii) मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति-छात्रवृत्ति और वजीफा (सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए केवल नकद)

(IV) ईबीएम छात्रों का कल्याण - छात्रवृत्ति और वजीफा (सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए केवल नकद)

(V) माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चे की एकीकृत शिक्षा (IEDSS) - छात्रवृत्ति और वजीफा (सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए केवल नकद)

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विधालयो के छात्रों (इसके बाद लाभार्थी के रूप में संदर्भित) को वित्तीय सहायता (इसके बाद लाभ के रूप में संदर्भित) प्रदान करना।

और, जबकि योजना मे पूर्वोक्त लाभ हेतु आवर्ती व्यय दिल्ली की समेकित निधि से है;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, २०१६ (२०१६ का १८) की धारा ७ के प्रावधानों के अनुसरण में, पूर्वोक्त योजनाओं हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की समेकित निधि से किये जाने वाले आवर्ती व्यय हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:-

1. (1) योजना(ओं) के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र छात्र को आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।

(2) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र छात्र, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या, जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, लेकिन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है तब छात्र को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का पात्र होने पर आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा।ऐसे छात्रों का नामांकन शिक्षा निदेशालय के क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है,के माध्यम से किया जा सकता है तथा संयुक्त निदेशक (आईटी) को भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (बाद में यूआईडीएआई के रूप में संदर्भित) के समन्वय में अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार घोषित किया गया है।

आधार नामांकन के लिए छात्र अपने निकट के किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जाने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

बशर्ते कि जब तक छात्रों को आधार आवंटित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे छात्रों को योजना के तहत लाभ स्कूल प्रमुखों द्वारा उनकी वर्तमान प्रवेश स्थिति की पुष्टि के आधार पर दिया जाता रहेगा।

2. लाभार्थियों को योजना(ओं) के तहत सुविधाजनक और परेशानी मुक्त लाभ प्रदान करने के लिए, स्कूल प्रमुख निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे, अर्थात्: -

(i) योजनान्तर्गत लाभार्थियों को आधार संख्या की आवश्यकता से अवगत कराना एवं विद्यालयों में शिविर आयोजित करने की व्यवस्था करना

(ii) अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्रों में खुद को नामांकित करने की सलाह दी जा सकती है, यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं और स्थानीय रूप से उपलब्ध आधार नामांकन केंद्रों की सूची (www.uidai.gov.in पर उपलब्ध होगी) उन्हें उपलब्ध हो जायेगी।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अशोक कुमार, उप निदेशक (योजना)

**DIRECTORATE OF EDUCATION**
**(Planning Branch)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th November, 2021

**F. No. DE.18-1(57)/Plg/2020/2876.—**Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Directorate of Education in the Government of NCT of Delhi, is administering Subsidy/Scholarship in the following Schemes of (hereinafter referred to as the schemes):-

(i) Free Supply of Text books &Writing Material –S&M (cash & Kind to students of Govt & Govt. Aided Schools)

(ii) Subsidy for School Uniforms to students-Subsidies (cash to students of Govt & Govt Aided Schools)

(iii) Chief Minister's Scholarship for Meritorious students-Scholarship & Stipend (Cash only for Govt school students)

(iv) Welfare of EBM students -Scholarship & Stipend (Cash only for Govt school students)

(v) Integrated Education of the disabled child at secondary stage (IEDSS)- Scholarship & Stipend (Cash only for government School Students)

To provide financial assistance (hereinafter referred to as the benefit) to the students (hereinafter referred to as the beneficiary) students of Govt. and Govt. Aided schools of DoE. And, whereas the aforesaid benefit under the scheme involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of Delhi;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), for incurring recurring expenditure under the aforesaid schemes from the consolidated fund of Govt. of National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi here by notifies the following, namely:—

1. (1) Eligible student desirous of availing the benefits under the scheme(s) shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An eligible individual desirous of availing the benefits under the scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the scheme shall have to apply for Aadhaar enrollment, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act. Such students may be enrolled through Directorate of Education Zonal level offices entrusted with the responsibility and Joint Director (IT) declared as Registrar under the ACT in coordination with the Unique Identification Authority.

Of India (hereinafter referred to as the UIDAI). Students may also choose to visit any Aadhaar enrolment centre in their proximity (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the students, benefits under the scheme shall continue to be given to such students based on confirmation of their current admission status with Heads of Schools.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the scheme(s) to the beneficiaries, Heads of Schools shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(i) To make beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the scheme and make arrangements to organize camps in schools

(ii) May be advise to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centers available in their areas, in case they are not already enrolled and the list of locally available Aadhaar enrolment centers (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi.

ASHOK KUMAR, Dy. Director (Planning)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.11.25 23:04:56 +05'30'